



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052022-235509
CG-DL-E-02052022-235509

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1941]
No. 1941]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2022/वैशाख 12, 1944
NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2022/VAISAKHA 12, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2022

का.आ. 2041(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, छत्तीसगढ़ राज्य में कटनी-गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 के अंतर्गत कि.मी. 356.867 से 357.913 (जयनगर रेलवे लेवल क्रॉसिंग क्र. AB-72) तक में (रेलवे ओवर ब्रिज पंधुच मार्गों सहित) अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH43 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ.ग.)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH43 के कि.मी. 356.867 से 357.913 तक	छत्तीसगढ़	सूरजपुर	लटोरी	1 जयनगर

[फा. सं. RO/NH/CG-2022-23/LA]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2022

S.O. 2041(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for (Jainagar Level Crossing No. AB-72) in km. 356.867 to km. 357.913 (Construction of ROB with approach Road), maintenance, management and operation of katni-Gumla National Highway No. 43 in the State of chhattisgarh.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-43 in the State of CHHATTISGARH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub Divisional Officer(Revenue) Surajpur Dist. Surajpur (Chhattisgarh)	356.867KM To 357.913KM	CHHATTISGARH	SURAJPUR	Latori	1 Jainagar

[F. No. RO/NH/CG-2022-23/LA]

RAJESH GUPTA, Director